रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-07122022-240857 CG-WB-E-07122022-240857

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5449] No. 5449] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2022/अग्रहायण 15, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 2022/AGRAHAYANA 15, 1944

रेल मंत्रालय

(पूर्व रेलवे)

(निर्माण विभाग)

अधिसूचना

कोलकाता, 24 नवंबर, 2022

का.आ. 5681(अ).—जबिक रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा एसओ संख्या. 1134(अ) दिनांक 11.03.2022, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग II धारा 3 उप-धारा (ii) द्वारा संख्या - 1099 दिनांक - 11.03.2022 रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) की धारा 20ए की उप-धारा (I) के तहत (यहाँ उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार ने अपना इरादा घोषित किया उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण, विशेष रेलवे परियोजना - पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में "सैंथिया – तारापीठ तीसरी लाइन" निर्माण के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए आवश्यक है।

और जबिक उक्त नोटिफिकेशन का सामान्य सारांश दिनांक- 23.03.2022 को "आनंदबाजार पत्रिका," "सम्बाद प्रतिदिन" और "दी टेलीग्राफ" में प्रकाशित किया गया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 20A की उपधारा (4) के तहत है।

और जबिक सक्षम प्राधिकारी को किसीभी व्यक्तिसे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

8096 GI/2022 (1)

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के बीरभूम जिला में विशेष रेल परियोजना "सैंथिया – तारापीठ तीसरी लाइन" के लिए बिना संरचना या संरचना सह अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण.

क्रम	पुलिस स्टेशन	मौज़ा और जे.एल. नं	एलआर प्लॉट नं	खतियान नं	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल		भूमि मालिक
संख्या							एकर	हेक्टेर	का नाम
1.	मयूरेश्वर	पाथाई, जे. एल. नं - 10	1631	283	निजी	सोय़ेम	1.940	0.7850	पंचानन मंडल, पिता- हलधर मंडल, ग्राम - नंदोरा
				814	निजी	सोय़ेम	0.330	0.1340	धीरेन गरई, पिता पंचानन गरई, पठाई
2.	रामपुरहाट	कुतुबपुर, शीट-1, जे.एल. नं - 51	542	433	निजी	सोय़ेम	0.000	0.0000	दीपाली चौधरी, पत्नी, डोलगो बिंदा चौधरी, अजयपुर
				548	निजी	सोय़ेम	0.890	0.3603	कबिता मंडल, पिता- कार्तिक चंद्र मंडल, आयुश
				549	निजी	सोय्रेम	0.890	0.3603	सुभास चंद्र मंडल, पिता- जटाधारी मंडल, ग्राम - जयरामपुर
	कुल क्षेत्रफल =								

और जबिक उक्त अधिनियम की धारा 20E की उपधारा (1) का अनुसरण करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है।

अब, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20E की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि उपर्युक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहण किया जाना है।

और आगे, उक्त अधिनियम की धारा 20E की उप-धारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि सभी रुकावट से मुक्त, केंद्र सरकार में बिल्कुल निहित होगी।

[फा. सं. मु. प्र. अ./नि./ भू./ 180 (A)]

वी. के. श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(Eastern Railway)

(CONSTRUCTION DEPARTMENT)

NOTIFICATION

Kolkata, the 24th November, 2022

S.O. 5681(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the ministry of the Railways, vide No. S.O. 1134 (E) dated 11.03.2022 published in Gazette of India, Extraordinary, part II – section 3 – Sub-section (ii) vide No. 1099 dated 11.03.2022 issue under sub-section (I) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (here in after referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the special Railway Project, namely, "Sainthia - Tarapith 3rd line" in the district of Birbhum, in the state of West Bengal.

And whereas the Substance of the said notification has been published in the "Anandabazar Patrika," "Sambad Pratidin" and "The Telegraph" on 23.03.2022 respectively under sub-section (4) of section 20A of the said Act.

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receiving of the said report of the competent authority and in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said schedule should be acquired for the aforesaid purpose

And further, in pursuance of Sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

COHEDIH E

	SCHEDULE										
Brie	Brief Description of the land to be acquired with or without structure for Special Railway Project namely "Sainthia - Tarapith 3rd line" in the District of Birbhum in the State of West Bengal.										
Sl. No.	Police Station	Mouza & J.L No	LR Plot No	Kh. No	Type of Land	Classification of Land	Area to be acquired		Name of The Land		
							Acres	Hectares	owner		
1.	Mayureswar	Pathai, J.L. No10	1631	283	Private	Saiyam	1.940	0.7850	Panchanan Mondal, S/O Haladhar Mondal, of Vill - Nandora		
				814	Private	Saiyam	0.330	0.1340	Dhiren Garai, S/O Panchanan Garai of Pathai.		
2.	Ramputhat	Kutubpur, J.L.No-51		433	Private	Saiyam	0.000	0.0000	Dipali Choudhury, W/o, Dolgo Binda Choudhury of Ajoypur		
				548	Private	Saiyam	0.890	0.3603	Kabita Mondal, S/O		

								Kartik Chandra Mondal of Ayas
			549	Private	Saiyam	0.890	0.3603	Subhas Chandra Mondal, S/O Jatadhari Mondal of Vill- Joyrampur
Total =						4.050	1.6396	

[F. No. CAO/Con/L/180 (A)]

V. K. SRIVASTAVA, Chief Administrative Officer/Con.